

राजस्थान सरकार
निदेशालय गोपालन

पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर-302015

Phone. 0141-2740819, 2740519, 2744229 (T/F) 2740613, e-mail :- dir.dgs@rajasthan.gov.in

क्रमांक- एफ.वी. 3()निगो/गौपनसु/मु.मं.ब.घो./16/ 2017-51

दिनांक- 15.3.2017

समस्त जिला संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग एवं
उप निदेशक, पशुपालन विभाग,
कुचामनसिटी, राजस्थान।

विषय:- गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 से सृजित निधि के उपयोग के सम्बन्ध में
गौशालाओं में आवासित गौवंश के पालन-पोषण हेतु सहायता दिये जाने बाबत।

संदर्भ:- परिपत्र क्रमांक एफ.वी.3()निगो/गो.पं.न.सु./मु.मं.ब.घो./2016/23.11.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा गौ संरक्षण संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत
जारी उक्त परिपत्र दिनांक 23.11.2016 के बिन्दु सं. 6(i) में गौशालाओं/कांजी हाऊस में संधारित
गौवंश को सहायता राशि की द्वितीय किश्त दिये जाने हेतु आवेदन दिनांक 16.01.2017 से 15.02.2017
तक लिये जाने का प्रावधान रखा जाकर निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त क्रम में लेख है कि पारदर्शिता की दृष्टि से गौवंश की पहचान हेतु पहली बार टैगिंग का
प्रावधान किया गया है गौशालाओं में इस कारण टैग क्रय करने व आपूर्तिकर्ता द्वारा टैग उपलब्ध कराने
में देरी होने की स्थिति के कारण गौवंश रजिस्टर तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन में देरी हो रही है। इस
कारण अभी तक जिलों में प्रथम किश्त हेतु आवेदनों को सहायता राशि दिये जाने हेतु कार्यवाही
प्रक्रियाधीन है। जिसके कारण द्वितीय किश्त हेतु आवेदन की निर्धारित तिथि 16.01.2017 से 15.02.2017
की समयसीमा को 20.03.2017 तक निर्देशानुसार बढ़ाई जाती है। अतः तदानुसार कार्यवाही किया जाना
सुनिश्चित करे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


निदेशक

क्रमांक- एफ.वी. 3()निगो/गौपनसु/मु.मं.ब.घो./16/

दिनांक-

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निदेशक, निदेशालय पशुपालन, राज. जयपुर।
4. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।

निदेशक